1. राजूराम पुत्र शैतानराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी ईनाणा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर (राज.)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री महावीर बिश्नोई, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, विशिष्ट अपर लोक अभियोजक

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	93/02.08.2026
Police Station, District and State	मूण्डवा, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	8/18 NDPS Act
Maximum punishment prescribed	दस वर्ष का कठोर कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	02.08.2026
Total period of custody undergone	09 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:-

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	थाना	धारा	पुलिस नतीजा	वर्तमान स्थिति
1.	12/07.02.2020	मूण्डवा, नागौर	8/18 NDPS Act	चार्जशीट नंबर 55/09.09.2020 US 8/15 **NDPS Act**	जैर-ट्रायल
2.	168/14.11.2022	मूण्डवा, नागौर	8/15 NDPS Act	चार्जशीट नंबर 115/30.11.2022 US 8/15 **NDPS Act**	जैर-ट्रायल

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 10.08.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त राजूराम की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2026, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल विशिष्ट अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2026 को थानाधिकारी देवीलाल विश्नोई, निरीक्षक पुलिस का दौराने गश्त जरिए मुखबीर खास व्यक्तिशः इत्तिला मिली कि मौजा ईनाणा में राजूराम पुत्र शैतानराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी ईनाणा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर अवैध मादक पदार्थ बेचने का धंधा करता है, अभी राजूराम ग्राम ईनाणा में स्थित अपने रहवासी मकान में अवैध मादक पदार्थ बेचने की फिराक में बैठा है, अगर तुरन्त पहुंच कर कार्यवाही की जावे तो राजूराम अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ में आ सकता है, अन्यथा मादक पदार्थ को खुर्द-बुर्द कर सकता है। उक्त इत्तिला विश्वसनीय होने पर नियमानुसार कार्यवाही कर थानाधिकारी देवीलाल मय जाप्ता माफिक इत्तिला राजूराम पुत्र शैतानराम के रहवासी मकान व बाड़ा में पहुंचा, जहां राजूराम के मकान के अन्दर घुसते ही, मकान के अन्दर एक शख्स खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस जाप्ता को मकान व बाड़ा में देखकर घबराकर अपने मकान के अन्दर के कमरे में जाने लगा, जिसको घेराबंदी कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजूराम पुत्र शैतानराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी ईनाणा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर होना बताया। नियमानुसार शख्स राजूराम की तलाशी ली गई तो शख्स राजूराम के पायजामा की दांयी जेब में प्लास्टिक की पारदर्शी चार छोटी-छोटी थैलियां मिली, जिसमें काला भूरा रंग का तरल पदार्थ अवैध मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया। शख्स राजूराम से अवैध मादक पदार्थ अफीम को अपने कब्जे में रखने के संबंध में कोई लाइसेंस व परमिट होने के बारे में पूछा गया तो स्वयं के पास कोई लाइसेंस व परमिट नहीं होना बताया। शख्स राजूराम का उक्त कृत्य धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध होने से शख्स राजूराम के कब्जे में मिले अवैध मादक पदार्थ अफीम का अनुसंधान बॉक्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कांटे से अलग-अलग वजन किया गया तो पहली पारदर्शी प्लास्टिक थैली का अवैध मादक पदार्थ सहित कुल वजन 09 ग्राम होना पाया गया। दूसरी प्लास्टिक की थैली का अवैध मादक पदार्थ सहित कुल वजन 10 ग्राम होना पाया। तीसरी प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित कुल वजन 10 ग्राम होना पाया गया तथा चौथी प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित कुल वजन 06 ग्राम होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त चारों पारदर्शी प्लास्टिक की थैलियों को अवैध मादक पदार्थ सहित एक बड़ी पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में डाला जाकर पुनः वजन किया तो उक्त बड़ी प्लास्टिक की पारदर्शी थैली का कुल वजन 37 ग्राम होना पाया गया। इसके पश्चात शख्स राजूराम के घर की तलाशी ली तो राजूराम के घर के चौक में लगे वॉशबेसिन के नीचे पानी निकलने वाली पाईप के नीचे एक प्लास्टिक का छोटा टप मिला, जिसमें हल्के काले व भूरे रंग का पानी मिला, जिसमें से मादक पदार्थ अफीम की बदबू आ रही थी। उक्त प्लास्टिक के टप में पानी में अफीम घुली हुई होना पाया गया। आरोपी राजूराम से पूछा तो राजूराम ने बताया कि

उसको गांव में पुलिस आने की भनक लग गई थी, जिसके कारण उसने डर से कुछ मादक पदार्थ अफीम को वॉशबेसिन में डालकर ऊपर से नल से पानी चालू कर दिया था, जिसके कारण अफीम पानी में बहकर वॉशबेसिन में लगे पाईप के सहारे नीचे लगे प्लास्टिक के टप में चली गई थी। प्लास्टिक के टप में भरे अवैध मादक पदार्थ अफीम मिश्रित पानी का अनुसंधान बॉक्स से एक पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा, खाली डिब्बा का वजन 142 ग्राम, में डालकर वजन किया तो उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे का अवैध मादक पदार्थ अफीम मिश्रित पानी सहित कुल वजन 1.045 किलोग्राम होना पाया गया। बाद मौका कार्यवाही के गिरफ्तारशुदा मुलजिम, बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ तथा मौके पर मुर्तिब फर्दात के थाने पर पहुंचकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसको उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आरोपित आरोप आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। तथाकथित बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से कम है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है, न ही प्रार्थी/अभियुक्त पर गवाहान को बहकाने या डराने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त माफिक आदेश मौतबीर जमानत पेश करने के लिए तैयार है। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को मौतबीर जमानत पर रिहा करने के आदेश बाबत् निवेदन किया।

4. विद्वान विशिष्ट अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से 37 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम व कुल वजन 1.045 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिश्रित पानी बरामद हुआ है, जिस संबंध में प्रार्थी/अभियुक्त के पास कोई लाइसेंस व परमिट नहीं पाया गया है। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में संलिप्त रहा है। वर्तमान में नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त एवं नशा प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया एवं केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है, ऐसे में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि हस्तगत प्रकरण में मौके पर प्रार्थी/अभियुक्त राजूराम के कब्जे से 37 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं कुल वजन 1.045 किलोग्राम प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे सहित अवैध मादक पदार्थ अफीम मिश्रित पानी बरामद हुआ है। बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत नियत लघु मात्रा से करीब 43 गुना अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के अपराध का आरोप प्रमाणित माना गया है। केस डायरी एवं

प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त 02 अन्य आपराधिक प्रकरण एनडीपीएस एक्ट से संबंधित दर्ज है। वर्तमान में नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त एवं नशा प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

7. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता, बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ की मात्रा, प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के अपराध में संलिप्त होने के रिकॉर्ड आदि तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त राजूराम पुत्र शैतानराम, उम्र 36 वर्ष, निवासी ईनाणा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

9. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर

10. आदेश आज दिनांक 10.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम
(अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1), नागौर